दिनांकः 04.02.2026

-प्रेस नोट-

<u>थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

*अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.02.2026 को वारण्टी अभियुक्त **सारिक पुत्र फय्याज नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर (**सम्बन्धित वाद सख्या 935/2021 मु0अ0स0 678/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम) को मौ0 कुरैशियान से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

सारिक पुत्र फय्याज नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1. *उ0नि0 श्री केरन सिह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 1929 जब्बाद अली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 04-02-2026

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि 19.01.2026 को वादी श्री पंकज कुमार पुत्र महीपाल सिंह निवासी बेहडा कलां थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 स्पलैण्डर न0 UK17B0595 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

*पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त **शंकर पुत्र मुन्ना निवासी इब्राहिमपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को चोरी गयी मोटर साइकिल स्पलैण्डर न0 UK17B0595 के साथ देहरादून-छुटमलपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मै नशे का आदि हूँ और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये मैने दिनाँक 19.01.2026 को कस्बा छुटमलपुर मे पंजाब हास्पिटल के सामने से उपरोक्त मो0सा0 को चोरी कर लिया था। आज मै इसे बेचने के लिये जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शंकर पुत्र मुन्ना निवासी इब्राहिमपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *स्पलैण्डर मो0सा0 न0 UK17B0595*

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 156/15 धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 112/18 धारा 414, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 113/18 धारा 25 ए एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0 114/22 धारा 349/411/420 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
5. *मु0अ0सं0 115/22 धारा 411, 413, 414, 420, 465 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
6. *मु0अ0सं0 116/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
7. *मु0अ0सं0 34/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
3. *है0का0 231 रोहित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
4. *का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.02.2026

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अपराधियों पर कड़ा प्रहार: गैंगस्टर एक्ट में थाना जनकपुरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, सम्पत्ति जब्त

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की सम्पत्ति जब्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में **जनकपुरी पुलिस** द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आज दिनांक 04.02.2026 को अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र आलमगीर निवासी ग्राम हबीबगढ थाना कोतवाली देहात 2. रहीस पुत्र नसीम निवासी अलावलपुर रोड छूटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर सम्बन्धित **मु0अ0सं0- 147/2025**,धारा **2/3 गैंगस्टर एक्ट**, थाना **कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर** में अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के विरुद्ध नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई गई।

जब्त की गई सम्पत्ति का विवरण:-

अभियुक्त – आसिफ पुत्र आलमगीर निवासी ग्राम हबीबगढ थाना कोतवाली देहात,सहारनपुर

➡01 मोटरसाइकिल

➡अनुमानित मूल्य – **₹43,000/-**

अभियुक्त – रहीस पुत्र नसीम निवासी अलावलपुर रोड छूटमलपुर थाना फतेहपुर, सहारनपुर

➡ 01 मोटरसाइकिल

➡अनुमानित मूल्य – **₹54,000/-**

कुल जब्त सम्पत्ति का मूल्य – ₹97,000/- (सत्तानबे हजार रुपये मात्र)

उक्त सम्पत्ति को अभियुक्तों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित किया गया पाया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जब्तीकरण किया गया इस कार्यवाही से अपराधियों में स्पष्ट संदेश गया है कि **अवैध गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जायेगा** तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद पुलिस आमजन की सुरक्षा, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त अभियान जारी रहेगा।